मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2006 (श्रावण 3, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1283-एक-(8) 54 -03- दो-अड़तालीस, दिनांक 1 जुलाई, 2006 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सीधी जिले में कृषकों को अमानक स्तर के बीज एवं कीटनाशकक दवाओं का वितरण किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री निशिथ पटेल, राजनारायण सिंह पूरनी, सत्यदेव कटारे, सदस्य, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पी.ई.टी. एवं पी.एम.टी. की परीक्षाएं विलंब से आयोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति, विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -
- (क) मुख्य मार्ग दबोह की मरम्मत कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम बन्थरी में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
- (क) ग्राम कोड़िया एवं सडूमर के मध्य लेंडी नदी पर पुल बनाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम तेंदूखेड़ा व सिहोरा में महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री हरीवल्लभ शुक्ला, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र.-62 में बायपास रोड पर पुल बनाये जाने,

(4) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य, उज्जैन जिले के -
- (क) तराना नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय का भवन बनाये जाने,
- (ख) तिलावद-कचनारिया मार्ग से तराना पहुंच मार्ग के मध्य छोटी काली सिंध नदी पर पुल बनाये जाने, तथा
- (ग) तराना से बगोदा तक सड़क बनाये जाने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -
- (क) ग्राम दांतरदा में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,
- (ख) ग्राम अलापुर में हाई स्कूल खोले जाने,
- (ग) श्योपुर-खतोली मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कराये जाने, तथा
- (घ) ग्राम बड़ोदा-मागरोल-शलापट्टा नदी तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने,

(6) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम बैराखेड़ी से बम्होरी तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

(ख) ग्राम बैराखेड़ी से बमूरिया तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम बैराखेड़ी से घुघवासा तक सड़क बनाये जाने,

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम असाटीपुरा से किशोरीपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ख) पृथ्वीपुर को खेलग्राम घोषित किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, दिनांक 10 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्रमांक 1121) एवं दिनांक 17 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 382) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सदन आज दिनांक 25.7.2006 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार कर इसे स्वीकार करे.".

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निराश्रितों एव निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पर विचार किया जाय. **1 घन्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(4) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री गृह, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) पर विचार किया जाय. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री गृह, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्रय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) पर विचार किया जाय. **30 मि.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक,2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 19 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

45 मि. प्रदेश की अशासकीय शिक्षण शालाओं में अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर शिक्षा का अवैध शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 24 जुलाई, 2006